

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन एक अत्याधुनिक मेट्रो कोरिडोर है जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नई दिल्ली शहर से जोड़ता है। यानी अब मात्र 18 मिनट में हवाई अड्डा पहुँच सकते हैं, जबकि सड़क मार्ग से शहर से हवाई अड्डा पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगते हैं। इस 22.7 किलोमीटर लंबे मेट्रो कोरिडोर ने शहर के परिवहन परिसर में कार्रिगारी परिवर्तन ला दिया है। इस कोरिडोर पर उपलब्ध प्रमुख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

- लाइन पर कुल स्टेशनों की संख्या: 6 (नई दिल्ली-शिवाजी स्टेडियम-बीला कुआँ-दिल्ली एरोसिटी-आईजीआई एयरपोर्ट-द्वारका सेक्टर-21)।
- इस लाइन पर सभी स्टेशनों से ट्रेनों में बैगज की अनुमति है, लेकिन नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम पर बैगज चेक-इन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- शिवाजी स्टेडियम और नई दिल्ली स्टेशनों पर पार्किंग उपलब्ध है।
- द्वारका सेक्टर-21 पर एक्सप्रेस लिंक से उतरने वाले यात्री प्लेटफार्म को बदले बगैर सीधे लाइन 3 (द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा सिटी सेंटर) की ट्रेन में बैठ सकते हैं।

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया लॉग ऑन करें: www.delhiairportexpress.com



महत्वपूर्ण नंबर

- मेट्रो हेल्पलाइन - 011-155370
- मेट्रो सुस्था निगरण कक्ष - 011-22185555
- पुलिस - 100
- आग - 101
- एम्बुलेंस - 102
- सेंट्रलाइज्ड एम्बुलेंस टैड - 011-1099
- ट्रॉमा सर्विसेज(कैंटर)
- रेलवे पूछताछ - 139
- हवाई सेवा पूछताछ - 1800-22-7772 / 0124-287-7777
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - 011-2567-5121
- एयर इंडिया - 011-2567-5121
- रोडवेज पूछताछ
- अ.रा.ब.अ. कक्षीय मेट - 011-2386-8834
- अ.रा.ब.अ. सारवा कले छाँ - 011-2435-8002
- अ.रा.ब.अ. आनंद विहार - 011-2215-2431
- मेट्रो पर प्रतिक्रिया: feedback@delhimetrorail.com

नोट: इस फोल्डर में संकलित जानकारी ओलों से ली गई है। हालांकि सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के ईमानदार प्रयास किए गए हैं, लेकिन डीएमआरसी किसी तरह की ज़ुट्टे या चूक के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। किसी भी पुरावा के लिए कृपया स्टेशन कर्मियों से संपर्क करें अथवा डीएमआरसी हेल्पलाइन नं. 011-155370 पर संपर्क करें।

मार्ग मानचित्र एवं किराया



मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रकाशित

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड

मेट्रो मार्ग, कक्षर विभाग क्षेत्र, मार्गानुसार रोड नई दिल्ली - 110001, फोन: 91-11-23417910, 23417912, फैक्स: 91-11-23417921, www.delhimetrorail.com



आपकी सुविधा के लिए मेट्रो में क्या करें एवं क्या न करें

आपकी सुरक्षित और सहज यात्रा के लिए सहेरार सेवा देने में मदद के लिए यहां पर कुछेक नियमों और विनियमों का उल्लेख किया गया है।



क्या करें

- स्टेशनों पर ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय पॉक में खड़े हो।
- ट्रेन में चढ़ने से पहले उतरने वाले यात्रियों को निकलने दें।
- ट्रेन में बच्चों एवं वृद्धों को पहले चढ़ने दें।
- ट्रेन के फर्श पर बैठें नहीं।
- अपना सामान 15 कि.घा तक सीमित रखें। साइज में यह 60 सें.मी (खम्बाई) x 45 सें.मी. (बीजाई) x 25 सें.मी. (ऊपाई) से अधिक न हो।
- मीड जाली ट्रेन में समाचार-पत्र न पढ़ें या टाई में चैकबुक खोलें। इससे दूसरे यात्रियों को कम स्थान मिलता है।
- नशे की हालत तथा अनाद व्यवहार से बचें।
- ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच के अंतर का ध्यान रखें।
- ट्रेन में और स्टेशन पर भीख मांगना, उत्पातों को बेचना या समूह गतिविधियों में भाग लेना करना, डेर कानूनी है। कृपया ऐसी गतिविधियों के बारे में स्टेशन स्टाफ को रिपोर्ट करें।
- कृपया ट्रेन से उतरते समय अपने सभी सामान को ले जाना सुनिश्चित करें। यदि आपका कोई सामान छूट जाता है तो कृपया करतबी गेट मेट्रो स्टेशन पर खीया और पचा बंद पर संपर्क करें।
- यदि आप कोई असाभ्य गतिविधि को देखें या सुनें तो कृपया ट्रेन के भीतर या स्टेशनों पर मेट्रो स्टाफ या सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें।

क्या न करें

- स्टेशन परिसर के अन्दर खाने का सामान न लाएं।
- मेट्रो स्टेशन के अंदर पालतू जानवर न लाएं।
- मेट्रो परिसर के अंदर धूम्रपान न करें।
- स्मार्ट कार्ड या टोकन के बगैर यात्रा न करें।
- टिकट बैरियर के ऊपर से न कूटें।
- अपने कार्ड या टोकन को इस्तेमाल करने में ध्यान दें कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ न करें।
- प्लेटफार्म पर पीसी लाईन को पार न करें।
- मेट्रो ट्रेक पर न उतरें।
- दरवाज़ों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करें।
- मेट्रो स्टेशन या ट्रेन को अंदर से खराब न करें और पोस्टर न लगाएं।
- एक्सेलेटर पर न दौड़े या गेम न खेलें।
- ट्रेन के दरवाज़ों को न छूएं या उन पर अपने हाथ न रखें।
- लोको को पकड़ने पर किसी से बचाव के लिए प्लेटफार्म पर मीड न करें या साथी यात्रियों के साथ धक्कामुक्की न करें।

बेताकबी: ट्रेन से कुछेक के उल्लंघन पर दिल्ली मेट्रो रेल (परिचालन एवं अनुसंधान) अधिनियम 2002 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है तथा जेल हो सकती है।



अपराध एवं जुर्माना

दिल्ली मेट्रो रेल (परिचालन एवं अनुसंधान) अधिनियम, 2002 के तहत अपराध एवं जुर्माना:

संख्या	अपराध	जुर्माना
59	नशे की हालत में होना या उपद्रव करना या ट्रेन के फर्श या आसरे में ड्रग्स डालना।	₹ 200/- का जुर्माना या वास, टिकट ट्रेन के फर्श या आसरे में ड्रग्स डालने से निकालना।
60	आवृत्तिका समूहों के बगैर जाना।	₹ 200/- का जुर्माना।
62	(i) रस्ते पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना। (ii) डिब्बे में या गाड़ी आदि पर लिखने, चिपकाने के लिए। (iii) हटने से इंकार करने पर।	(i) प्रदर्शन में भाग लेने से बहिष्कार। (ii) डिब्बे, गाड़ी आदि से हटाना। (iii) ₹ 500/- का जुर्माना।
63	ट्रेन की छत पर यात्रा करना।	₹ 50/- का जुर्माना और ट्रेन से हटाना।
64	अथवा प्रवेश तथा मेट्रो की परतरी पर चलना। (ii) अथवा प्रवेश (मिहलाओं के लिए आखिरी कोच में प्रवेश करना)	(i) ₹ 150/- का जुर्माना। (ii) ₹ 250/- का जुर्माना।
68	हट्टी पर उपस्थित अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाना।	₹ 500/- का जुर्माना।
69	(i) बिना टिकट या पास के यात्रा करना। (ii) प्रतिकूल दूरी से अधिक की यात्रा करना।	(i) ₹ 50 और सिस्टम के अधिकारियों के अधिकारों का उल्लंघन। (ii) ₹ 500/- का जुर्माना।
70	ट्रेन में सहेरार सामानों से छेड़-छाड़ या अलमारी का दुरुपयोग।	₹ 200/- का जुर्माना।
72	मेट्रो संसि को खराब करना।	₹ 200/- का जुर्माना।
73	मेट्रो रस्ते पर वस्तुओं की अनधिकृत बिक्री।	₹ 400/- का जुर्माना।
75	टिकट की अनधिकृत बिक्री।	₹ 200/- का जुर्माना या टिकट जप्त करना।

बेताकबी: यदि अपराधी जुर्माना नहीं देते हैं तो, उन्हें मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुलिस के सुपुर्दे किया जाएगा।



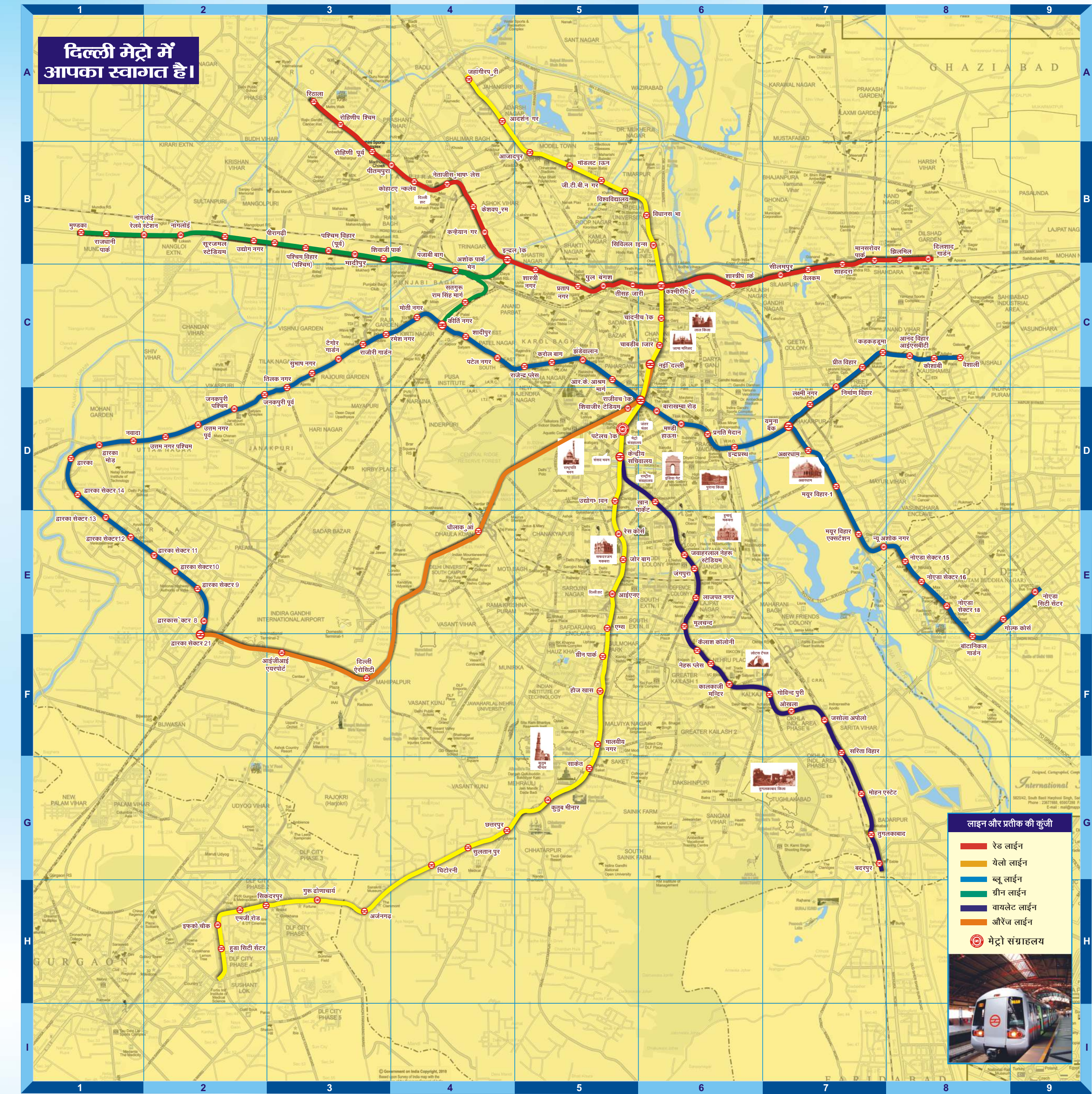
मेट्रो संग्रहालय (पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर)

- समय**
- प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक (सभी दिन)
- सुरक्षित सेवा**
- सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक (सोमवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर बाकी सभी दिन)
- फोन: 011-23417910-12
- एक्सटेंशन - 33670 फैक्स: 91-11-23345851
- ई-मेल: delhimetromuseum@gmail.com
- स्मारिका दुकान**
- सुबह 9.15 बजे से सांय 4.45 बजे तक (सोमवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर बाकी सभी दिन)
- फोन: 011-23417910-12 एक्सटेंशन: 33662
- प्रवेश**
- स्मार्ट कार्ड या टोकन से (सिर्फ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर 45 मिनट के लिए मान्य) प्रवेश शुल्क: ₹ 8*

कैसे पहुंचें

मेट्रो संग्रहालय पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लाइन नं. 2 (जहांगीरपुरी-हुडा सिटी सेंटर) पर है। मेट्रो सेवाओं के अतिरिक्त अनेक सिटी बसों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों से भी संग्रहालय पहुंचा जा सकता है।

अधिक विवरण के लिए कृपया लॉग ऑन करें www.delhimetrorail.com



दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है।

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें



स्पष्टीकरण: इस फोल्डर का कोई भी हिस्सा दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन की पूर्वाज्ञाति के बगैर किसी भी रूप में या किसी भी प्रकार से किसी निर्र्दीव्य सिस्टम में पुनः निर्मित, मण्डारण करके या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली मानचित्र का स्रोत: इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ई-मेल: mail@mappeople.net



दिल्ली मेट्रो का प्रयोग कैसे करें

टोकन और स्मार्ट कार्ड्स

डीएमआरसी की किराया संग्रह प्रणाली पूरी तरह स्वचालित (ऑटोमैटिक) है और कई बार यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड तथा एक बार की यात्रा के लिए स्मार्ट टोकन जारी करती है, जो स्वचालित पैसेर टाइम टिकट गेट्स (टोकन या कार्ड लगाने पर अपने आप खुलने वाले द्वार) पर प्रयोग किए जा सकते हैं। किसी भी मेट्रो स्टेशन के ग्राहक संपर्क केंद्र पर स्मार्ट कार्ड रीचार्ज करवा जा सकते हैं और अंतिम बार रीचार्ज कराने के दिन से एक वर्ष के लिए मान्य होते हैं।

- न्यूनतम मूल्य* : ₹ 100
- अधिकतम मूल्य* : ₹ 1000
- सिक्कुरिटी जमा* : ₹ 50 (कार्ड की वापसी पर प्रतिदेय)
- तीन फुट से कम ऊंचाई के बच्चों के लिए प्रवेश मुक्त है।

पर्यटकों के लिए स्मार्ट कार्ड

दो प्रकार के पर्यटन कार्ड भी उपलब्ध हैं जिनमें एक दिन और तीन दिन तक असीमित यात्रा का आनंद लिया जा सकता है।

- 1-दिन के कार्ड का मूल्य : ₹ 100
- 3-दिन के कार्ड का मूल्य : ₹ 250
- सिक्कुरिटी जमा : ₹ 50 (कार्ड वापस पर प्रतिदेय)



टोकन एवं स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल

टोकन बिजो में दिखाइ दे रहे अपने टोकन के मूल्य की जांच मुगलान की गई राशि से करें।

प्रवेश दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र के अंदर प्रवेश द्वार किराया मशीन पर टोकन या कार्ड दिखाएं।

बाहर निकलते समय निकलने के गेट को खोलने के लिए टोकन को खाले स्मार्ट कार्ड धारक से प्रभार की कटौती हेतु तथा पैसेर द्वार खोलने हेतु गेट उपकरण निर्दिष्ट स्थान पर कार्ड दिखाएं।

निर्वाचित गंतव्य स्थान तक टोकन खरीदें और यदि आपकी यात्रा टोकन राशि से अधिक होती है तो अतिरिक्त यात्रा के लिए किराये के अंतर को रकूला जाएगा।



किराए पर साइकिल की सुविधा

जो यात्री स्टेशन से कुछ दूरी की यात्रा के इच्छुक हों उनके सुविधा के लिए कुछेक मेट्रो स्टेशनों पर साइकिल किराये पर दी जाती है।

न्यूनतम चार घण्टों के लिए साइकिलों का प्रयोग करने के लिए मात्र ₹ 10* की राशि ली जाती है। यात्री को साइकिल किराये पर लेने के लिए एक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करना होगा।

कुछेक प्रमुख मेट्रो स्टेशन जहां पर यह सुविधा उपलब्ध है: विजयवाहाय, प्रमो मिशन, पटेल चौक और इंदरपुर।

*सर्तौ लागू

Tema 2		Tema 3	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4

[illegible]

के संबंध में किराए और अन्य विवरण के लिए www.delhiahairportexpress.com पर लॉग ऑन करें।